[2020] 4 एस. सी. आर 1130

हीरा सिंह और एक अन्य

वी.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 722)

22 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - एस. 21-मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक के मिश्रण की जब्ती के मामले में

एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ पदार्थ, की मात्रा तटस्थ पदार्थ (ओं) को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और उल्लंघन के भार द्वारा वास्तविक सामग्री के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मादक पदार्थ, मादक पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थों की "छोटी या वाणिज्यिक मात्रा" का निर्धारण करते समय-ई. माइकल राज के मामले में इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना एक अच्छा कानून नहीं है - एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 एकल प्रावधान नहीं है और इसका अर्थ कानून में अन्य प्रावधानों के साथ लगाया जाना चाहिए, जिसमें अधिसूचना No.S.O.2942 (ई) दिनांक 18.11.2009 और अधिसूचना एस. ओ. 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001 दिनांकित अधिसूचना को चुनौती शामिल है।

18.11.2009 एन. डी. पी. एस. की कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा निर्दिष्ट करते हुए दिनांकित 19.10.2001 अधिसूचना में "नोट 4" जोड़ना।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत आने वाला स्पष्टीकरणात्मक था और इसके माध्यम से

पर्याप्त सावधानी और यह योजना और एन. डी. पी. एस. अधिनियम-मादक पदार्थों की तस्करी के प्रासंगिक प्रावधानों के अधिकार के बाहर नहीं है।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. E.Micheal राज के मामले में, इसे एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में रखते हुए

एक या अधिक तटस्थ पदार्थ, तटस्थ पदार्थ की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और यह केवल मादक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह "छोटे" का गठन करेगा।

मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा ", इस न्यायालय ने दिनांकित अधिसूचना में प्रासंगिक प्रविष्टि पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है

19.10.2001 . जो जब्त किया गया वह हेरोइन थी जो प्रविष्टि 56 में आती है। जो जब्त किया गया वह अफीम और/या अफीम से व्युत्पन्न नहीं था। इस न्यायालय द्वारा भी कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि यह गिर जाएगा।

प्रविष्टि 239 के तहत कोई भी मिश्रण या तैयारी जो तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना हो। इसलिए, मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण का मामला इस न्यायालय के प्रत्यक्ष विचार में बिल्कुल भी नहीं था। यहां तक कि यह भी प्रतीत नहीं होता है कि इस न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 के नोट 2 पर विचार किया। यदि इस अदालत द्वारा नोट 2 पर विचार किया जाता और उस मामले में जब्त की गई सामग्री "हेरोइन" होती और जो जब्त की गई थी वह 4.5 किलोग्राम हेरोइन थी, तो अदालत ने इसे एक "वाणिज्यिक मात्रा" के रूप में माना होता क्योंकि प्रविष्टि 56 पर विचार करते हुए, 5 ग्राम "कम मात्रा" है और 250 ग्राम और उससे अधिक एक "वाणिज्यिक मात्रा" है।

" वाणिज्यिक मात्रा "। संशोधन अधिनियम, 2001 से संबंधित उद्देश्यों और कारणों के विवरण की भी उचित रूप से सराहना नहीं की गई और/या विचार नहीं किया गया और/या उचित रूप से व्याख्या नहीं की गई। संबंधित उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार करना 2001 का संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा दो स्तरीय दंड का प्रावधान किया गया था-एक कम मात्रा के लिए और दूसरा वाणिज्यिक के लिए।

मात्रा, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका का इरादा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह कम होगी, केवल अपमानजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री पर विचार करना था।

2. एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की प्रस्तावना के अनुसार, यह मादक पदार्थों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करना।

मादक पदार्थ और मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान। उद्देश्यों और कारणों के कथन और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की प्रस्तावना का तात्पर्य है कि अधिनियम को एक निवारक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है और प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कठोर होना चाहिए कि वही कार्य निवारक के रूप में हो और तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर करना और केवल आपत्तिजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री पर विचार करना विधायिका का इरादा कभी नहीं था जो यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (viia) और (xxiiia) से ही, नार्कोटिक और ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ (धारा 21,

22 , 23 , 24 , 27 और 43)। यहां तक कि अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 से जुड़ी तालिका में कॉलम नं. 2 [2020] 4 एस. सी. आर. के नाम के संबंध में है।

मिश्रण का हिस्सा बनने वाले मनोदैहिक पदार्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 100 ग्राम का मिश्रण जब्त किया जाता है और मिश्रण में दो अलग-अलग मादक पदार्थ और तटस्थ सामग्री के साथ साइकोट्रोपिक पदार्थ होते हैं, एक दवा हेरोइन है और दूसरा मेथाडोन है, जो उपरोक्त दो संबंधित मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ दी गई मात्रा के बीच की वाणिज्यिक मात्रा से कम है। विचार करने की आवश्यकता है। "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" के निर्धारण के उद्देश्य से, प्रविष्टि 239 के मामले में मिश्रण/दवा के पूरे वजन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है, जिसे तटस्थ सामग्री का वजन कहा जाता है।

ऊपर जो कहा गया है, उसके अधीन। यदि ई. माइकल राज के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह संबंधित प्रावधानों में कुछ जोड़ना होगा।

कानून जो वहां नहीं है और/या यह कभी भी विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं था। [पैरा 8.2] [1158-बी-एच; 1158-ए-बी]

3. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवैध दवाओं को शायद ही कभी शुद्ध रूप में बेचा जाता है। वे लगभग हमेशा मिलावटी या कटे हुए होते हैं। अन्य पदार्थ। कैफीन को हेरोइन के साथ मिलाया जाता है, यह हीरा सिंह बनाम का कारण बनता है।

कम दर पर वाष्पित होने के लिए हेरोइन। यह उपयोगकर्ताओं को दवा को तेजी से लेने और जल्द ही एक बड़ा पंच प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। एस्पिरिन, चूर्णित गोलियाँ, उनके पास दवाओं की प्रतिवर्ती खुराक को संशोधित करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो सकती है। हेरोइन का उदाहरण लीजिए। इसे शक्तिशाली और अवैध सड़क दवा और मॉर्फिन से प्राप्त अफीम के रूप में जाना जाता है। इस दवा को विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ आसानी से "काटा" जा सकता है। इसका मतलब है कि दवा विक्रेता दवा में अन्य दवाएं या गैर-मादक पदार्थ जोड़ देगा ताकि वे कम कीमत पर इसे अधिक बेच सकें। ब्राउन-चीनी/स्मैक आमतौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ये पदार्थ केवल 20 प्रतिशत हेरोइन हैं। हेरोइन को चाक पाउडर, जिंक ऑक्साइड जैसे अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, इन वजह से, दवा में अशुद्धियाँ, ब्राउन-शुगर सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक होती है। ये दिखाने और प्रदर्शित करने के लिए केवल कुछ उदाहरण हैं कि मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ का मिश्रण भी अधिक खतरनाक है। इसलिए, जो हानिकारक या हानिकारक है वह है तटस्थ पदार्थ और मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक के साथ पूरा मिश्रण/गोलियाँ।

पदार्थ। इसलिए, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि यह केवल अपमानजनक दवा के वजन की वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या यह कम होगी। मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा, उस स्थिति में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। "वाणिज्यिक मात्रा" के लिए कुछ सजा हो सकती है। निश्चित रूप से विधायिका का इरादा ऐसा नहीं था। यहां तक कि

"निर्माण", "निर्मित दवा" और "तैयारी" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ सामग्री सहित ऐसी "निर्मित दवा" या "तैयारी" के कुल वजन पर विचार किया जाना आवश्यक है। यदि इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है, तो ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करने का कोई अन्य इरादा। कार्य करना निवारक है।

[पैरा 8.3,8.4] [1159-सी-एच; 1160-ए]

4. नशीली दवाओं के आदी लोगों की समस्या अंतर्राष्ट्रीय है और माफिया दुनिया भर में काम कर रहे हैं। यह समाज के खिलाफ अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। भारत में युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ा है। देश को कमजोर करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, [2020] 4 एस. सी. आर. लागू करके खतरनाक मादक पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण रखा गया था।

अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1875 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930। हालाँकि, समय बीतने और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के क्षेत्र में विकास और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुरुपयोग के दौरान, मौजूदा कानूनों में कई कमियाँ ध्यान में आई हैं। इसलिए, ऐसी कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता थी, जिसके कारण एन. डी. पी. एस. अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम एक विशेष कानून है और इसका एक प्रशंसनीय उद्देश्य है और इसका उद्देश्य उस खतरे का मुकाबला करना है जिस पर अन्यथा झुकाव है।

5. भारत संघ द्वारा जारी विवादित अधिसूचना No.2942 (E) दिनांक 18.11.2009 को चुनौती, जिसके द्वारा, "नोट 4" को अधिसूचना S.O.1055 (E) दिनांकित में जोड़ा गया है। 19.10.2001 मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थ की कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करना

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 को प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक और/या अत्यधिक सावधानी के रूप में कहा जा सकता है। [पैरा 9] [1160-एच; 1161-ए]

ई. माइकल राज बनाम। खुफिया अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (2008) 5 एस. सी. सी. 161: [2008] 4 एससीआर 644-नहीं

अच्छा कानून।

मो. जाफर आलम बनाम। राज्य, आपराधिक विविध। 2011 का मामला सं. 37461; प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन एंड अदर (1994) 3 एस. सी. सी. 440: [1994] 1 एस. सी. आर. 445; औसेफ बनाम। केरल राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. हीरा सिंह बनाम

446 ; मुरलीधर मेघराज लोया और एक अन्य बनाम। राज्य महाराष्ट्र और अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 684: [1977]

1 एससीआर 1; रीमा अग्रवाल बनाम। अनुपम और अन्य

(2004) 3 एससीसी 199: [2004] 1 एस. सी. आर. 378; राजिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2015) 6 एससीसी 477: [2015] 2

एस. सी. आर. 835 संदर्भित है। चैपमैन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका (1991) 500 यूएस 453

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 4 एससीआर 644

पै

रा 1

अच्छा कानून नहीं है।

(2004) 4 एस. सी. सी. 446

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[1977] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2.13

[2004] 1 एससीआर 378

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2.13

[2015] 2 एससीआर 835

पै

रा 2.13

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.1

नागरिक/आपराधिक/मूल अपील न्यायनिर्णयः अपराधी

2017 की अपील सं. 722।

उच्च न्यायालय के 06.11.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय (आपराधिक) 2010 की सं. 1552।

के साथ

2017 की सिविल अपील सं. 5218, आपराधिक अपील सं. 444 , 884 ,

984 2016 का, 2017 का 721,1557,388,1678,2156,2155, डब्ल्यू. पी. (आपराधिक) सं। 186 2014 का, 2016 का 77 और 154।

अमन लेखी, एएसजी, विकास महाजन, एएजी, आर. बालासुब्रमण्यम,

मनोज स्वरूप, आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सुनीता रानी सिंह, बी. कृष्ण प्रसाद, विबू शंकर मिश्रा, एस. एस. रे, बी. वी. बलराम दास, सुश्री समता पी. मिश्रा, सुश्री सीमा बेनगनी, अनस जैद, सुश्री बीनू टम्टा, ऋत्विज ऋषभ, सुश्री शिवानी मिश्रा, उज्जवल सिन्हा, सुश्री महक हुरिया, अनिकेत सेठ, सुश्री लक्षिता सचदेव, सुश्री दिव्या बहल, विपुल जिंदल, अजय कुमार, नीलमणि पंत, सुश्री विदिशा स्वरूप, सुश्री तृप्ति टंडन, सुनील फर्नांडीस, सम्यक गंगवाल, आर. के. कपूर, सुश्री श्वेता कपूर, रजत कपूर, अनीस अहमद खान, सुश्री

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मिश्रा, पी. डी. शर्मा, सुधीर कुमार गुप्ता, विनोद शर्मा, अनिल कुमार, जॉयदीप रॉय, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, कार्तिक जयशंकर, जगजीत सिंह छाबड़ा,

सुश्री जसप्रित गोगिया, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, हार्दिक गौतम, सुश्री शालिनी मिश्रा, सुश्री स्नेहा कलीता, जोहेब हुसैन, के. मेहरोत्रा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं

ई. माइकल राज बनाम। खुफिया अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

(2008) 5 एस. सी. सी. 161 का विचार है कि जब कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ मिश्रित पाया जाता है, तो सजा देने के उद्देश्य से यह मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की सामग्री है जिसे लिया जाएगा।

विचार में (पैराग्राफ 15 और 19), निम्नलिखित प्रश्न हैं:

तीन न्यायाधीशों की पीठ को निर्दिष्ट किया गया, दिनांक 3.7.2017 के आदेश के अनुसार:

(क) क्या ई. माइकल राज (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिसमें प्रविष्टि सं. 239 और 19.10.2001 दिनांकित अधिसूचना के नोट 2 (दो) के साथ-साथ दूसरे की परस्पर क्रिया भी

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. अधिनियम") के प्रावधानों के साथ

धारा 21?

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विवादित अधिसूचना मानदंडों को फिर से परिभाषित करती है?

एक अपराध का गठन और विशेष रूप से सजा देने के लिए?

(ग) क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम केंद्र सरकार को अनुमति देता है

इस तरह के वितरण का सहारा लें?

(घ) क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम यह परिकल्पना करता है कि

मादक पदार्थ और जब्त की गई सामग्री/पदार्थ को समग्र रूप से या निर्दिष्ट मादक पदार्थ की वास्तविक दवा सामग्री के आधार पर एक तैयारी के रूप में माना जाना चाहिए।

(ई) क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 प्रावधान के साथ एक स्टैंड है या आंतरिक रूप से "निर्मित दवा" और "तैयारी" से संबंधित अन्य प्रावधानों से जुड़ी है।

इसमें कोई निर्मित दवा है?

भारत संघ की ओर से तर्क

2. भारत संघ की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है

प्रावधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 15 और 19 में ई. माइकल राज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि यह केवल मादक दवा के वजन की वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह कम मात्रा में होगी या नहीं। वाणिज्यिक मात्रा, और यह विचार कि जब कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ मिश्रित पाया जाता है, तो सजा देने के उद्देश्य से, यह मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की सामग्री है जिसे ध्यान में रखा जाएगा, स्पष्ट रूप से गलत है और इसके विपरीत है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की पूरी योजना। उन्होंने तर्क दिया कि यदि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य सहित पूरी योजना पर विचार किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि जहां दवाओं को मिश्रण के रूप में बेचा जाता है, सजा के उद्देश्यों के लिए निर्धारण मिश्रण की कुल मात्रा होगी।

2.1 ई. माइकल राज (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि "अपमानजनक सामग्री" अभिव्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

एनडीपीएस अधिनियम में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मिश्रण में आपत्तिजनक दवा की सामग्री के आधार पर दंड लगाने का भी विधायिका का इरादा नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ई. माइकल राज (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने औसेफ बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा करने में गलती की है। केरल राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 446 जैसा कि उक्त निर्णय पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी नहीं था क्योंकि इसने इस मुद्दे को उप-मौन रूप से पारित कर दिया था

2.2 ई. माइकल राज (उपरोक्त) के मामले में मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के भौतिक प्रावधानों और पूरी वैधानिक योजना को नजरअंदाज कर दिया है ताकि एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जो कानून की भावना और शर्तों दोनों से उत्पन्न नहीं हुआ था और अधिनियम और संशोधन के पीछे के उद्देश्य को विफल कर दिया था। 2.3 एन. डी. पी. एस. अधिनियम, जैसा कि मूल रूप से 1985 में अधिनियमित किया गया था, धारा 2 (xx) में 'तैयारी' की परिभाषा को शामिल किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'तैयारी' की परिभाषा से पता चलता है कि तैयारी का अर्थ है "एन. डी. पी. एस. के संबंध में" खुराक या घोल में एक या अधिक दवाएं या पदार्थ या [2020] 4 एस. सी. आर.

मिश्रण। 'मिश्रण' को यांत्रिक मिश्रण या दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जो रासायनिक संयोजन से अलग हैं या एक संरचना में निलंबन या विदेशी तत्व में विदेशी पदार्थ के साथ एक तरल पदार्थ है। 'विलयन' को विलायक के साथ ठोस के संयोजन से प्राप्त तरल या अर्ध-तरल तैयारी के रूप में परिभाषित किया गया है। 'खुराक' का अर्थ है ए

निश्चित मात्रा या उपयोग या प्रभाव में दवा के अनुरूप माना जाने वाला कुछ। परिभाषाओं पर एक नंगे नज़र, यह स्पष्ट है कि एक दवा या

पदार्थ को एक या अधिक पदार्थों (मिश्रण) के साथ मिलाया जा सकता है या किसी भी द्रव या विलायक (घोल) के माध्यम से अपनी भौतिक स्थिति को बदला जा सकता है या विभाजित या विभाजित (खुराक) किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, न केवल दवा या मनोदैहिक पदार्थ की शुद्ध सामग्री से संबंधित था, बल्कि मिश्रण, घोल या खुराक में इसकी तैयारी से संबंधित था। ई. माइकल राज (उपरोक्त) के मामले में, उपरोक्त का कोई संदर्भ नहीं है;

2.4 धारा 2 (XXXIII) के अनुसार, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' को परिभाषित करने से पता चलता है कि साइकोट्रोपिक पदार्थ

इसमें "इस तरह के पदार्थ की तैयारी" शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त खंड को एन. डी. पी. एस. अधिनियम में संलग्न अनुसूची के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुसूची में ही, प्रविष्टि 77 में, अनुसूची की प्रविष्टि 1 से 76 में उल्लिखित मनोदैहिक पदार्थ की सूची के "लवण और तैयारी" को शामिल किया गया था। इसलिए मूल एन. डी. पी. एस. अधिनियम मनोदैहिक पदार्थों की "तैयारी" से संबंधित था। इसके अलावा, संबंधित उल्लंघन साइकोट्रोपिक पदार्थ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडनीय था और धारा 22 को धारा 2 (XX), 2 (XXXII) और अनुसूची के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि दंड में साइकोट्रोपिक पदार्थ की तैयारी शामिल थी और यह शुद्ध पदार्थ सामग्री पर आधारित नहीं था। यहां तक कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (xiv), जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, 'मादक दवाओं' को परिभाषित किया गया था, उनका अर्थ (i) कोका पत्ती; (ii) कैनबिस; (iii) अफीम; (iv) खसखस की भूसी; और (v) निर्मित दवाएं। उपरोक्त में से प्रत्येक को अलग से परिभाषित किया गया था। इसलिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम में भी

मूल रूप से अधिनियमित, 'मादक दवाओं' में उनके मिश्रण और तैयारी शामिल थीं। यह केवल 'खसखस पुआल' की परिभाषा में है कि अभिव्यक्ति मिश्रण या तैयारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है; 2.5 उन्होंने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में एकमात्र प्रावधान, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, जो मात्रा को निर्दिष्ट करता था, धारा 27 थी, उक्त धारा में "कम मात्रा या मादक दवाओं या मनोदैहिक दवाओं" का उल्लेख किया गया था।

"और हल्के दंड के लिए प्रावधान किया गया है जहां यह साबित हो जाता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम या नियम के उल्लंघन में रखने का उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग के लिए था या किसी भी मादक दवा का सेवन किया गया था।

या मनोदैहिक पदार्थ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "छोटी मात्रा" को अधिसूचना संख्या में अधिसूचित किया गया था। 14.11.1985 का S.O.827 जिसमें केवल 5 दवाएँ शामिल थीं। बाद की अधिसूचनाओं द्वारा, जोड़ दिए गए और सूची में और अधिक दवाओं को शामिल किया गया। इसलिए संशोधित अधिनियम के तहत "छोटी मात्रा" मूल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत पिछली अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई मात्रा से बहुत अधिक है। इस प्रकार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम मूल रूप से अधिनियमित, जहां तक मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का संबंध है, केवल कम मात्रा में मान्यता प्राप्त है जहां कब्जा व्यक्तिगत उपभोग के लिए था या उपभोग था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत निर्धारित सजा, मूल रूप से धारा 20 को छोड़कर अधिनियमित की गई थी, जिसमें कुछ परिस्थितियों में 5 तक के कारावास का विचार किया गया था।

वर्ष, 10 वर्ष से कम की सजा के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है

20 साल तक। एन. डी. पी. एस. अधिनियम, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तैयारी को शामिल करता है न कि केवल उनकी शुद्ध दवा सामग्री को;

2.6 वर्ष 1989 में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम को 1989 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा संशोधित किया गया था। कि संशोधन के बावजूद, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत सजा की मूल योजना में तैयारी शामिल है न कि केवल शुद्ध

सामग्री में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। वर्ष 2001 में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम में और संशोधन किया गया और "वाणिज्यिक मात्रा" को परिभाषित करने वाले खंड (viia) और "छोटी मात्रा" को परिभाषित करने वाले खंड (xxiiia) को जोड़ा गया। दोनों धाराओं पर एक नंगी नज़र डालने से पता चलता है कि एक ही कवर की गई मात्रा, केंद्र सरकार द्वारा मादक दवाओं के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट "मात्रा" से अधिक/कम, जैसा भी मामला हो, और

साइकोट्रोपिक पदार्थ। 2001 के संशोधन में/उसके बाद भी, "तैयारी" की परिभाषा या "मादक दवाओं" और "मनोदैहिक पदार्थों" की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया था, विशेष रूप से "कम मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" की परिभाषाओं को जोड़ने के बाद भी। यहाँ तक कि साइकोट्रोपिक की सूची में अवशिष्ट प्रविष्टि भी

पदार्थ, अर्थात, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 77, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, उक्त अनुसूची के 'प्रविष्टि 111' के रूप में संशोधन के बाद भी बनाए रखा जाता है। वर्ष 2001 में संशोधन का एकमात्र कारण यह था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में सभी तैयारी, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, समान रूप से 10 से 20 साल के कारावास के साथ दंडनीय थे और यहां तक कि जमानत की शर्त में भी राशि का कोई संदर्भ नहीं था। यही कारण था कि 2001 के संशोधन द्वारा धारा 37 को विशेष रूप से "वाणिज्यिक मात्रा" से निपटने के लिए संशोधित किया गया था।

2.7 उन्होंने तर्क दिया कि "वाणिज्यिक मात्रा" आवश्यक रूप से [2020] 4 एस. सी. आर. के रूप में मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तैयारी पर लागू होगी।

जिन खंडों को जोड़ा गया था, उन्हें उस क़ानून के प्रावधानों के साथ पढ़ने की आवश्यकता थी जो पहले से ही उसमें मौजूद थे और जिन्हें संशोधित नहीं किया गया था। यह मूल रूप से एनडीपीएस अधिनियम की योजना के अनुरूप था।

अधिनियमित किया। संशोधन में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई। यही कारण है कि संशोधित अधिनियम में नए जोड़े गए खंडों में "वाणिज्यिक मात्रा" और "छोटी मात्रा" का उल्लेख किया गया है। इसलिए दवा/पदार्थ के संबंध में मात्रा पर जोर दिया गया न कि दवा/पदार्थ की सामग्री पर। मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थ की शुद्ध मात्रा से निपटने के लिए कानून के अनुप्रयोग को संशोधित करने का इरादा कभी नहीं था। 2001 के संशोधन के आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इसे मजबूत किया गया, जिसमें नोट 2 निम्नानुसार थाः

" 2. ऊपर सूचीबद्ध संबंधित दवाओं के खिलाफ दिखाई गई मात्रा दवाओं की तैयारी और तैयारी पर भी लागू होती है।

ऊपर टिप्पणी 1 के पदार्थों में से।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोट 2 में जो प्रदान किया गया था वह मूल अधिनियम के बाद से हमेशा था।

2.8 उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना में अब उल्लिखित "छोटी मात्रा" एनडीपीएस अधिनियम में "छोटी मात्रा" की तुलना में बहुत अधिक है।

जैसा कि मूल रूप से लागू किया गया था। यही कारण है कि धारा 27 और धारा 64 ए दोनों में भी संशोधन किया गया है। कब्ज़ा हो चुका है

धारा 27 से बाहर निकाले जाने पर, मूल एन. डी. पी. एस. की धारा 27 के तहत कब्जे के लिए हल्के दंड का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक्ट करें। इसलिए संशोधित धारा 27 किसी भी वस्तु के "उपभोग" तक ही सीमित है।

केवल नशीली दवाएं या मनोदैहिक पदार्थ और धारा 64 ए के तहत प्रतिरक्षा उन लोगों के बीच 'नशेड़ी' तक सीमित है, जिनके लिए धारा 27 लागू होती है, दूसरे शब्दों में, 'कम मात्रा' का कब्जा भी संशोधित अधिनियम की धारा 27 के बाहर है और प्रतिरक्षा उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनके लिए धारा 27 लागू होती है, लेकिन केवल उनमें से उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो हैं

‘ नशेड़ी '। यह सजा की श्रेणीकरण के परिणामस्वरूप एक परिवर्तन है, लेकिन सजा केवल मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थ की मात्रा से संबंधित है जिसमें उनकी मात्रा भी शामिल है। तैयारी और शुद्ध दवा सामग्री नहीं;

2.9 अधिसूचना के नोट 4 के बिना भी, एन. डी. पी. एस. अधिनियम मादक दवाओं के पूरे मिश्रण या घोल पर लागू होगा और

साइकोट्रोपिक पदार्थ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2009 की अधिसूचना के तहत नोट 4 को जोड़ना, विवाद के लिए अप्रासंगिक है और

ई. माइकल राज (ऊपर) में निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है, भले ही नोट हीरा सिंह बनाम।

4 उपेक्षा की जाती है। इसलिए अधिसूचना किसी भी तरह से एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध या सजा देने के मानदंडों को फिर से परिभाषित नहीं करती है। श्री लेखी, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने चैपमैन बनाम के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका (1991) 500 यू. एस. 453 उनके इस निवेदन के समर्थन में कि वाक्य विशेष रूप से "मिश्रण या पदार्थ" के वजन पर आधारित होने चाहिए न कि सामग्री पर-शुद्ध

5 साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा जो 1 ग्राम से अधिक पदार्थ वितरित करने के अपराधों के लिए लागू थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि एल. एस. डी. वितरण के लिए उपयुक्त सजा की गणना करते समय वाहक का वजन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। द. यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" हम सोचते हैं कि कानून को पढ़ने वाले याचिकाकर्ता, एक रीडिंग जो वाहक और दवा के सकल वजन के बजाय दवा के शुद्ध वजन पर जुर्माना लगाती है, एक प्रशंसनीय नहीं है। क़ानून एक "मिश्रण या पदार्थ को संदर्भित करता है जिसमें एक पता लगाने योग्य राशि होती है"। जब तक इसमें पता लगाने योग्य मात्रा होती है, गणना करते समय पूरे मिश्रण या पदार्थ का वजन किया जाना चाहिए।

वाक्य।

दवाओं के "मिश्रण या पदार्थ जिसमें पता लगाने योग्य मात्रा होती है" के कुछ भार। हालाँकि, अन्य दवाओं के संबंध में, अर्थात् फेनसाइक्लिडाइन (पी. सी. पी.) या मेथामफेटामाइन, यह एक मिश्रण या पदार्थ के वजन के आधार पर एक अनिवार्य न्यूनतम वाक्य प्रदान करता है जिसमें दवा की एक पता लगाने योग्य मात्रा होती है। या शुद्ध
पी. सी. पी. या मेथामफेटामाइन के कम वजन पर। के लिए

उदाहरण के लिए, धारा 841 (बी) (1) (ए) (iv) में 100 ग्राम वितरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

पी. सी. पी. या 1 किलोग्राम या उससे अधिक मिश्रण या

पी. सी. पी. की पता लगाने योग्य मात्रा वाला पदार्थ। "इस प्रकार, इन दो दवाओं के संबंध में, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से [2020] 4 एस. सी. आर. को अलग किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुद्ध दवा और एक मिश्रण या पदार्थ के बीच

शुद्ध दवा की पता लगाने योग्य मात्रा। लेकिन दवाओं के संबंध में जैसे एल. एस. डी., जिसे याचिकाकर्ताओं ने वितरित किया, कांग्रेस ने घोषित किया

कि वाक्य विशेष रूप से वजन पर आधारित होने चाहिए

" मिश्रण या पदार्थ "। कांग्रेस जानती थी कि कैसे संकेत देना है

शुद्ध दवा के वजन का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाना था

और एल. एस. डी. के संबंध में वह अंतर नहीं किया।

" ..... एक "मिश्रण" को "पदार्थ के एक हिस्से" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है जिसमें एक निश्चित घटक नहीं होता है

एक-दूसरे का अनुपात "।

" ..... के अनुसार दवाओं की मात्रा को मापकर

दवाओं की मात्रा, उनकी शुद्धता की परवाह किए बिना। यह एक तर्कसंगत है सजा देने की योजना "।

(रेखांकित हमारा है)

2.10 उन्होंने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

शुद्ध दवा और दवा वाली तैयारी के बीच अंतर। यह अधिनियम सक्रिय घटक के शुद्ध वजन के बजाय उस रूप में दवा के सड़क के वजन पर लागू होता है जिसमें उन्हें बेचा जाता है। इस अधिनियम को अपनी स्थापना के बाद से लगातार यही प्रदान किया गया है। अपीलार्थी चाहते हैं कि यह न्यायालय क़ानून को इस तरह से पढ़े कि प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उदाहरण के लिए, हेरोइन की "छोटी मात्रा" 5 ग्राम है, जिसे यदि केवल शुद्ध दवा सामग्री के रूप में लिया जाए तो 100 ग्राम सड़क स्तर की हेरोइन में परिवर्तित हो जाएगी। 25 ग्राम हेरोइन की दर से 100 ग्राम हेरोइन के मिश्रण से हेरोइन की लगभग 400 खुराक मिल सकती है। 400 खुराक के बराबर हेरोइन रखने या बेचने वाले व्यक्ति को केवल छह महीने के कारावास में भेजना कभी भी विधायिका या सरकार का इरादा नहीं हो सकता था। इसलिए यदि अपीलकर्ताओं की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्यों के विपरीत होगा और अधिकांश मामलों में "वाणिज्यिक मात्रा" के लिए कोई सजा नहीं होगी और वास्तविक अपराधी/आरोपी मामूली सजा के साथ चले जाएंगे।

2.11 यह आगे तर्क दिया जाता है कि क्रॉफर्ड के अनुसार

कानून की व्याख्या (सांविधिक निर्माण) "न्यायालय को हीरा सिंह बनाम का प्रयास करना चाहिए।

एक ऐसे निर्माण से बचने के लिए जो क़ानून को अन्यायपूर्ण, दमनकारी, अनुचित, बेतुका, शरारती या सार्वजनिक हित के विपरीत बना देगा। उस निर्माण को स्वीकार किया जाना चाहिए जो क़ानून को सबसे अच्छे के लिए प्रभावी और उत्पादक बनाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि ये परिणाम विधायिका द्वारा अभिप्रेत थे। विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए, इसलिए यह स्पष्ट है कि क़ानून को एक तर्कसंगत, तार्किक और समझदार व्याख्या दी जानी चाहिए।

2.12 यह भी बताया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम को उद्देश्य और कारणों के विवरण के अनुसार पारित किया गया है, ताकि "मौजूदा प्रावधानों को मजबूत किया जा सके।

जिन परिस्थितियों में अधिनियम संचालित होना है, उन्हें तर्कसंगत या विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। 2.13 भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री लेखी ने भी उरलिधर के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है

मेघराज लोया और एक अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 684, साथ ही, रीमा अग्रवाल बनाम। अनुपम और अन्य (2004) 3 एस. सी. सी. 199 उनके इस निवेदन के समर्थन में कि किसी विशेष क़ानून की व्याख्या और/या विचार करते समय, एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिसमें अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह दोषों को दूर कर सकता है और उसे करना चाहिए। अपीलार्थी चाहते हैं कि यह न्यायालय उस सामग्री को बदले जिसमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम बुना गया है। राजिंदर सिंह बनाम के मामले में। पंजाब राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 477, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि एक क़ानून को एक निष्पक्ष, व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान की व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी। संसद। इसलिए, ई. माइकल राज (ऊपर) में निर्णय गलत है और मात्रा की गणना के लिए वास्तविक दवा सामग्री नहीं बल्कि समग्रता में तैयारी देखी जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह ई. माइकल राज (उपरोक्त) इनक्यूरियम के अनुसार है और यहां तक कि [2020] 4 एस. सी. आर. की अधिसूचना भी।

प्रावधान और इसका अर्थ कानून के अन्य प्रावधानों के साथ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून का समग्र रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और क़ानून के शब्दों का अर्थ संदर्भ से लिया जाना चाहिए और एक सुसंगत अधिनियम बनाने के लिए समझा जाना चाहिए, अर्थात, विसेरिबस एक्टस। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोट 4 का सम्मिलन भी बहुत अधिक था और इसके बिना भी उसी इरादे को क़ानून से निकाला जा सकता था जैसा कि यह था। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन इसका उद्देश्य केवल किसी भी गलत धारणा को दूर करना था और इसका उपयोग केवल प्रचुर सावधानी के साथ किया जाता था।

3. 2017 की आपराधिक अपील संख्या 722 में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. कपूर ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

3.1 कि वर्तमान अपील में चुनौती विवादित के लिए है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 के खंड (viia) और (xxiiia) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.11.2009। केंद्र सरकार के पास उस विवादित अधिसूचना को जारी करने का अधिकार नहीं था जिसके द्वारा उसने मादक दवाओं या मनोदैहिक दवाओं के संबंध में तालिका के कॉलम 5 और 6 में मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों की मात्रा के साथ-साथ तटस्थ सामग्री की मात्रा को भी शामिल करने का अधिकार दिया है। कॉलम संख्या में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित पदार्थ। 2 उक्त मेज के 4 तक। तटस्थ सामग्री को शामिल करने की ऐसी शक्ति एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 के खंड (viia) और (xxiiia) के तहत प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार, दिनांकित 18.11.2019 की आक्षेपित अधिसूचना एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है, जिसे 2001 के संशोधित अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है।

3.2 आक्षेपित अधिसूचना द्वारा, नोट 4 को एन. डी. पी. एस. अधिनियम में संलग्न तालिका के अंत में नोट 3 के बाद जोड़ा गया है, जिसमें शामिल हैं। अधिसूचना एस. ओ. 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001, जिसके द्वारा

कॉलम संख्या में उल्लिखित मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों की "कम मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी। 5 & 6 तालिका के कॉलम संख्या में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में। 2 उक्त मेज के 4 तक; 3.3 विवादित अधिसूचना जारी करने का परिणाम यह है कि अपराधी को कुल हीरा सिंह बनाम को देखकर सजा दी जाएगी।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

अपराधी के कब्जे में पाई गई सामग्री की मात्रा भले ही रासायनिक विश्लेषण पर यह पाया गया हो कि मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की वास्तविक सामग्री "कम मात्रा" के अंतर्गत आती है, लेकिन तटस्थ सामग्री को जोड़कर दंड दिया जाता है। " वाणिज्यिक मात्रा "। उदाहरण के लिए, दो अपराधी हैं। एक "ए" में 4 ग्राम हेरोइन की मात्रा होती है जो कॉलम संख्या में उल्लिखित "छोटी मात्रा" 5 ग्राम से कम होती है। 5 मेज से।

एक अन्य "बी" के पास 1 ग्राम हेरोइन है, लेकिन इसे 250 ग्राम की "तटस्थ सामग्री" के साथ मिलाया है, यह 251 ग्राम हो जाता है, जो "वाणिज्यिक मात्रा" से अधिक है जो कॉलम संख्या के अनुसार 250 ग्राम है। 6 मेज से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ये दो अपराधी "ए" और "बी" हैं दोषी ठहराए जाने पर "ए" को 1 साल की सजा दी जाएगी जबकि "बी" को 20 साल तक की सजा दी जा सकती है, हालांकि "बी" के मामले में उल्लंघन करने वाली दवा की वास्तविक सामग्री कम है। इसका अर्थ है हेरोइन के लिए एक साल और "तटस्थ सामग्री" के लिए 19 साल की सजा जो अन्यथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं है। इस प्रकार, नोट 4 का प्रभाव अधिक कमजोर होता है, दवा की शक्ति कम होती है, लेकिन सजा अधिक होती है। इसलिए, यह अन्याय की ओर ले जाएगा और इसके बजाय "तटस्थ सामग्री" की मात्रा के आधार पर अभियुक्त की सजा में भिन्नता होगी।

"तटस्थ सामग्री" की मात्रा को कॉलम संख्या के तहत "कम मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" के तहत भी निर्दिष्ट किया गया होगा। 5 और टेबल के 6। चूंकि "तटस्थ सामग्री" न तो एक मादक दवा है और न ही एक मनोदैहिक पदार्थ है, इसलिए इसका उल्लेख कॉलम संख्या के तहत नहीं किया गया है। 2 और 4 और इसलिए, नोट 4 के तहत दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है; 3.6 वर्ष 2001 में, एन. डी. पी. एस. (संशोधन) अधिनियम, 2001 को नशेड़ी और कम गंभीर अपराधियों के लिए सजा की मात्रा को तर्कसंगत बनाने और गंभीर अपराधियों के लिए गंभीर सजा के लिए लाया गया था; [2020] 4 एस. सी. आर.

3.7 इस न्यायालय ने E.Micheal राज (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया कि दंड के उद्देश्य से केवल उल्लंघनकारी अनुच्छेद की मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर इसे किसी और के साथ मिलाया गया है

पदार्थ, जो गैर-अपमानजनक पदार्थ है, तो पूरे थोक को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और यह कि सजा को वर्गीकृत किया जाना चाहिए

केवल अपमानजनक लेख की मात्रा के संबंध में; 3.8 किसी व्यक्ति को केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई सीमा तक ही दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।

3.9 यह एक स्थापित कानून है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। जब एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ही "तटस्थ पदार्थ" को दंडनीय नहीं बनाया गया है, तो "तटस्थ पदार्थ" को केंद्र सरकार द्वारा विवादित अधिसूचना जारी करके कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है। जहाँ भी "तटस्थ सामग्री" को शामिल किया जाना था, उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत ही निर्दिष्ट किया गया है। इसे तालिका में उल्लिखित प्रत्येक दवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। 3.10 अभिव्यक्ति "मिश्रण" को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका संदर्भ "तैयारी" शब्द की परिभाषा के तहत है। यहाँ तक कि "तैयारी" शब्द में भी, संदर्भ फिर से ऐसी एक या अधिक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के लिए है, लेकिन किसी भी "तटस्थ सामग्री" का कोई संदर्भ नहीं है।

3.11 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार केंद्र सरकार के पास अधिनियम संख्या में कोई संशोधन करने की शक्ति नहीं है। 9 2001 का और कथित रूप से बरामद की गई राशि की पूरी मात्रा बनाएँ

अपराधी से "छोटी, वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक मात्रा" के रूप में सामग्री, उसमें "तटस्थ पदार्थ" को शामिल करने का निर्देश देकर।

इसलिए, दिनांकित 18.11.2009 अधिसूचना को अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जा सकता है।

हीरा सिंह बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

4. श्री मनोज स्वरूप, 2017 की आपराधिक अपील संख्या 721 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-गुरसेवक सिंह @सेवक बनाम। इसके अलावा, पंजाब राज्य ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

4.1 यह अधिनियम स्वयं "तटस्थ सामग्री" को शामिल करने पर विचार करता है।

धारा 2 (iii), 2 (vi), 2 (xv) और 2 (xvi) पर निर्भरता रखी गई है। कि अधिनियम स्वयं उन स्थानों का प्रावधान करता है जहाँ "तटस्थ सामग्री" होगी ध्यान में रखा गया। "तटस्थ सामग्री" अधिनियम द्वारा अनुमत स्थानों तक ही सीमित होनी चाहिए। नोट 4 केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ अधिनियम द्वारा "तटस्थ सामग्री" की अनुमति है। केवल तभी नोट 4 एक स्पष्टीकरणात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा;

4.2 यदि नोट 4 इससे आगे जाता है, तो नोट 4 कुछ ऐसा जोड़ना चाहता है जो अधिनियम में नहीं है। उस स्थिति में, नोट 4 कानून बनाना, पहचान करना और परिभाषित करना होगा कि अपराधी क्या होगा।

अपराध और इस प्रक्रिया में, नोट 4 अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का विस्तार करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून में अस्वीकार्य होगा। यदि सभी मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों में "तटस्थ सामग्री" को शामिल किया जाता है, तो 2001 का उद्देश्य

4.3 ई. माइकल राज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में "कम मात्रा" और "वाणिज्यिक मात्रा" और 2001 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बीच अंतर को देखा गया था। इसके बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 2001 का संशोधन अधिनियम "अपमानजनक पदार्थ" के लिए दंडनीय है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में 2001 की अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 239 पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रविष्टि संख्या 239 केवल एक अधिसूचना में निहित थी और शक्ति का स्रोत नहीं थी। इसलिए, E.Micheal राज (ऊपर) ने सही निष्कर्ष निकाला है कि सजा केवल "अपमानजनक पदार्थ" की मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए; 5. श्री आनंद ग्रोवर, प्रस्तावित मध्यस्थ-आवेदक-इंडियन ड्रग की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

निर्माता संघ ने मोटे तौर पर वही प्रस्तुतियाँ की हैं जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की जाती हैं:

5.1 "कम मात्रा" के लिए सीमा निर्धारित करने में और

" वाणिज्यिक मात्रा "मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के लिए [2020] 4 एस. सी. आर.

2001 की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार तालिका के कॉलम 4 में संबंधित दवा के "रासायनिक नाम" का उल्लेख करती है। इस प्रकार, "रासायनिक नाम", जो किसी विशेष पदार्थ की उसकी वास्तविक रासायनिक संरचना के संदर्भ में पहचान करता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि

ऐसे पदार्थ की मात्रा। यदि ऐसा नहीं होता, तो 2001 की अधिसूचना में कॉलम 4 और किसी पदार्थ के रासायनिक विवरण की आवश्यकता नहीं होती, जो मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की छोटी और वाणिज्यिक मात्रा को निर्धारित करता है।

5.2 2001 की अधिसूचना में जिन दवाओं के लिए रासायनिक नाम के लिए कॉलम (4) में प्रविष्टि नहीं दी गई है, वे हैं 'प्राकृतिक/पादप-आधारित दवाएं' अर्थात् कैनबिस और कैनबिस राल (चरस, हशीश) धारा संख्या 23 में। एस. नंबर 26 पर कोका लीफ; एस. नं. 55 पर गांजा; एस. नं. 92 पर अफीम; धारा 110 पर अफीम की भूसी और धारा 111 पर भारतीय भांग के टिंचर के अर्क से बनाई गई तैयारी। कि उपरोक्त उपरोक्त पदार्थों की वैधानिक परिभाषाओं के अनुरूप है, जो 'तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना' का संकेत देते हैं;

5.3 नशीली दवा की मात्रा भी इसके लिए प्रासंगिक है

यह निर्धारित करने के उद्देश्य कि क्या कोई विशेष तैयारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है या नहीं। यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 के खंड (xi) द्वारा व्यक्त किया जाता है जो केंद्र को अधिकार देता है।

सरकार किसी मादक पदार्थ या तैयारी को या तो निर्मित दवा होने या निर्मित दवा नहीं होने के लिए अधिसूचित करेगी;

5.4 दवा की प्रतिशत सामग्री को अप्रासंगिक बनाकर,

आक्षेपित अधिसूचना में पिछले दरवाजे के माध्यम से एन. डी. पी. एस. अधिनियम से छूट प्राप्त दवा की तैयारी को कानून के दायरे में लाने का प्रभाव पड़ता है।

(i) उदा। : विनिर्मित दवाओं की सूची में प्रविष्टि 35 'कोडाइन' अधिसूचना एस. ओ. 826 (ई) दिनांक 14/11/1985, अधिसूचना एस. ओ. 40 (ई) दिनांक 29/02/1993 और

अधिसूचना एस. ओ. 1431 (ई) दिनांक 21.6.2011 (इसके बाद सामूहिक रूप से "विनिर्मित पर अधिसूचना" के रूप में संदर्भित)

ड्रग्स ")।

(ii) इसी तरह की छूट क्र. सं. की प्रविष्टियों में निहित हैं। अधिसूचना की संख्या 35,36,37,48,70,76,83 और 87

निर्मित दवाएँ।

5.5 इसलिए, आक्षेपित अधिसूचना के साथ असंगत है

केंद्र सरकार द्वारा जारी विनिर्मित दवाओं पर अधिसूचना हीरा सिंह बनाम।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (xi) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मादक पदार्थ या तैयारी को निर्मित दवा घोषित करने या निर्मित दवा नहीं घोषित करने के लिए; 5.6 उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक-आई. डी. एम. ए. के सदस्यों जैसी वैध संस्थाओं के लिए, विवादित अधिसूचना मनमाने और बेतुके परिणामों की ओर ले जाती है क्योंकि लाइसेंस दवा की वास्तविक मात्रा के संदर्भ में दिया जाता है, जबकि सजा आधार या कुल थोक मात्रा पर लगाई जाती है।

5.7 प्रत्यर्थी इस बात से अवगत था कि आक्षेपित अधिसूचना एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक' और 'छोटी' मात्रा में मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों को अधिसूचित करने के लिए धारा 2 (viia) और (xxiiia) के तहत प्रदत्त शक्तियों से परे है। तदनुसार, इसने 8 सितंबर, 2011 को लोकसभा में एन. डी. पी. एस. (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक 78) पेश करके 2011 में विधायी संशोधन पेश करने की मांग की। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (viia) और 2 (xiiia) में प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार थेः

पदार्थ का अर्थ है ऐसी दवा, पदार्थ या ऐसी दवा या पदार्थ की तैयारी की कोई भी मात्रा जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक गज़ीते में अधिसूचना द्वारा शुद्ध दवा सामग्री के संदर्भ में या अन्यथा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक है (प्रस्तावित संशोधनों को रेखांकित किया गया है) 'छोटी मात्रा' के लिए धारा 2 (xxiiia) की परिभाषा में समान परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे;

5.8 उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया गया था

निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ संसदीय स्थायी समितिः -

" प्रस्तावित संशोधनों में 'तैयारी' और 'अन्यथा' शब्दों/अभिव्यक्तियों द्वारा इंगित अर्थ अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट हैं। खंड में इस तरह की अस्पष्टता कानून की व्याख्या में मनमानेपन का कारण बनेगी और विशिष्ट प्रावधान करने के इरादे से प्रस्तावित संशोधनों को तर्कसंगत दंड संरचना को कमजोर कर सकती है।

एक के लिए परिणामी दंड/सजा निर्धारित करने के लिए वसूली की शुद्ध दवा सामग्री पर विचार करने के लिए प्रावधान

अपराधी, अस्पष्ट अर्थ वाला कोई शब्द/शब्द/खंड नहीं होना चाहिए

प्रावधानों में उपयोग किया जाए। "[2020] 4 एस. सी. आर.

प्रतिवादी ने 2013 में उपरोक्त संशोधनों को वापस ले लिया।

वे एन. डी. पी. एस. (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम 16) का हिस्सा नहीं हैं।

2014) ;

5.9 प्रविष्टि 239 दो या दो से अधिक के मिश्रण या तैयारी की बात करती है।

तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना दवाएँ और कॉलम 5 और 6 में तारांकन चिह्न (*, * *) है। क्षुद्रग्रहों को यह संकेत देते हुए समझाया गया है कि संबंधित मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों की कम मात्रा को कम मात्रा और कम मात्रा निर्धारित करने के लिए लिया जाएगा।

वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित करने के लिए वाणिज्यिक मात्रा की गणना की जाएगी। तारांकन चिह्न के साथ प्रविष्टि 239 यह स्पष्ट करता है कि यह अंदर आता है

ऑपरेशन केवल तभी किया जाता है जब जब जब्ती दो या दो से अधिक दवाओं का संयोजन हो, अर्थात दो या दो से अधिक मादक दवाओं का संयोजन [उदाहरण के लिए: ' चरस 'और' गांजा '], या दो या अधिक मनोदैहिक पदार्थ [उदा. : ' फेंटानिल 'और

' ज़ोलिपिडेम '] या मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का एक संयोजन [उदाहरण के लिए:' कोकेन और लाइसरगाइड (एल. एस. डी.)]। प्रविष्टि में शब्दांकन

239 2001 की अधिसूचना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 31 ए की तालिका में प्रविष्टि (viii) के समान है, जो दो या दो से अधिक दवाओं के मिश्रण से भी संबंधित है। कि धारा 31 ए की तालिका में न तो प्रविष्टि (viii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम और न ही 2001 की अधिसूचना की प्रविष्टि 239 में सुझाव दिया गया है कि दो या दो से अधिक मादक दवाओं के मिश्रण में, पूरे मिश्रण का वजन यानी दोनों दवाओं का कुल वजन लिया जाना चाहिए।

विचार करना;

5.10 दो या दो के मिश्रण में शामिल मात्रा का निर्धारण करने में

अधिक दवाएँ, यह कम या कम सीमा वाला पदार्थ है, चाहे 'छोटी' या 'वाणिज्यिक' मात्रा के लिए, जिसका उपयोग संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, 200 ग्राम वजन का एक मिश्रण जब्त किया जाता है। उक्त जब्ती के घटक इस प्रकार हैं: - 110 चरस के ग्राम और 90 ग्राम गांजा। 2001 की अधिसूचना के अनुसार, प्रविष्टि 23 पर चरस की छोटी मात्रा है -

100 जबकि प्रवेश 55 पर गांजे की छोटी मात्रा 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम है। प्रविष्टि 239 के आधार पर, इस मामले में जब्त की गई मात्रा चरस के संबंध में निर्धारित की जाएगी न कि गांजा के संबंध में।

मध्यवर्ती मात्रा के लिए उत्तरदायी [चरस की मात्रा कम मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम पाई जाती है] और गांजे के लिए मात्रा सीमा के लाभ का दावा करने में सक्षम नहीं होगा, हालांकि उस पर पाया गया गांजा 2001 की अधिसूचना में निर्दिष्ट गंजा की छोटी मात्रा से कम है; हीरा सिंह बनाम।

5.11 उन्होंने तर्क दिया कि ई. माइकल राज (उपरोक्त) सही ढंग से तय किया गया है क्योंकि यह एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करता है; विधायी जांच करता है।

2001 में एन. डी. पी. एस. संशोधनों का इरादा; सही ढंग से निर्णय लेता है कि एन. डी. पी. एस. मात्रा के तहत दंडात्मक परिणाम जब्ती में अपमानजनक सामग्री की वास्तविक मात्रा से संबंधित हैं; यह क़ानून में बताई गई स्थिति को दोहराता है।

5.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने

मोहम्मद के मामले में निर्णय दिनांक 08.05.2012। जाफर आलम बनाम। राज्य, आपराधिक विविध। 2011 के मामला सं. 37461 ने अभिनिर्धारित किया कि वास्तविक और वास्तविक

विचाराधीन नशीले पदार्थों की मात्रा का सटीक रूप से पता लगाया जाना चाहिए और कानून की सावधानीपूर्वक और सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

चर्चा.

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और संदर्भ आदेश पर विचार करने के बाद, जिस प्रश्न के लिए प्रस्तुत किया जाता है

इस न्यायालय का विचार यह है कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम में मादक पदार्थों के मिश्रण की परिकल्पना की गई है और जब्त की गई सामग्री/पदार्थ को समग्र रूप से तैयारी के रूप में या विशिष्ट मादक पदार्थों की वास्तविक दवा सामग्री के आधार पर माना जाना चाहिए? दूसरे शब्दों में, यह सवाल कि क्या एक या अधिक तटस्थ पदार्थ (ओं) के साथ मिश्रण में मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में छोटी या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय, तटस्थ पदार्थ (ओं) की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए या यह केवल उल्लंघन करने वाले के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है।

कौन सी दवा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या यह कम मात्रा में होगी या वाणिज्यिक मात्रा में? इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिसूचना No.S.O.2942 (E) दिनांक 18.11.2009 द्वारा E.Micheal राज (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, "नोट 4" को अधिसूचना में जोड़ा गया है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली नशीली दवाओं या मादक पदार्थों की "कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा" को निर्दिष्ट करते हुए S.O.1055 (ई) दिनांक <आई. डी. 2. उपरोक्त अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया नोट 4 इस प्रकार हैः

" कॉलम 2 में दिखाई गई संबंधित दवाओं से संबंधित तालिका के कॉलम 5 और 6 में दिखाई गई मात्राएं पूरे मिश्रण या किसी भी घोल या किसी एक या अधिक मादक दवाओं या खुराक के रूप में विशेष दवा के साइकोट्रोपिक पदार्थ या आइसोमर, एस्टर, ईथर और लवण या इन दवाओं, जिनमें लवण या एस्टर, ईथर और आइसोमर शामिल हैं, पर लागू होंगी, जहां भी ऐसे पदार्थ का अस्तित्व संभव है और न कि केवल इसके शुद्ध पदार्थ पर।

दवा

सामग्री। "[2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.1 प्रारंभ में, यह ध्यान रखना उचित है कि E.Micheal राज (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से पहले

विचार करें कि मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में कि एक या अधिक तटस्थ पदार्थ/एस, तटस्थ की मात्रा मादक पदार्थ या मादक पदार्थ की कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय पदार्थ/पदार्थों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और केवल मादक पदार्थ के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री जो यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" का गठन करेगी, एक सुसंगत दृष्टिकोण यह था कि "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" का निर्धारण करने के उद्देश्य से तटस्थ पदार्थ सहित जब्त की गई पूरी निर्मित दवा/तैयारी/मिश्रण का वजन ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हालाँकि, ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में पहली बार, पूरी तरह से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 पर विचार करने पर एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है, जिसके द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 में संशोधन किया गया था।

6.2 इसलिए, सबसे पहले हम ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करना चाहेंगे। तथ्य.

इंगित करें कि ई. माइकल राज (सुप्रा) में जो जब्त किया गया था वह 4 किलोग्राम था

हेरोइन की, जो अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 की प्रविष्टि 56 में आती है। अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 के अनुसार हेरोइन के मामले में 5 ग्राम एक छोटी मात्रा है और 250 ग्राम एक वाणिज्यिक मात्रा है। हालांकि, इस अदालत ने जब्त किए गए पदार्थ-हेरोइन को अफीम व्युत्पन्न माना और इसलिए एक निर्मित दवा माना और इसलिए, जब्त की गई दवा को अफीम व्युत्पन्न माना, इस अदालत ने जब्त की गई सामग्री को कम मात्रा में माना और तदनुसार सजा सुनाई। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, यह न्यायालय

संबंधित उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार किया गया संशोधन अधिनियम, 2001 और उसके बाद पैरा 12 से 15 में निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 12. आपत्तिजनक पदार्थ का कब्ज़ा होगा

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है, क्योंकि हेरोइन धारा 2 (xvi) (ई) के अनुसार एक अफीम व्युत्पन्न है जो कहता है कि सभी तैयारी में 0.20 प्रतिशत से अधिक है।

मॉर्फिन या किसी भी डायसिटाइलमोर्फिन्यू युक्त एक है अफीम व्युत्पन्न। इसके अलावा, धारा 2 (xi) के अनुसार, सभी अफीम व्युत्पन्न विनिर्मित दवा की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अपमानजनक पदार्थ एक अफीम व्युत्पन्न है और इसलिए एक निर्मित दवा है,

जिसका कब्जा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कुछ कार्यों को प्रतिबंधित करता है।

इस प्रभाव से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या हस्तांतरण नहीं करेगा।

पदार्थ।

13. वर्तमान मामले में, अफीम व्युत्पन्न जो किया गया है

अभियुक्त के कब्जे में पाया गया-अपीलार्थी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 के तहत निषिद्ध है और इस प्रकार इसकी धारा 21 के तहत दंडनीय है। सवाल केवल सजा की मात्रा के संबंध में है।

14. संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप, सजा

संरचना में भारी बदलाव आया है। संशोधन अधिनियम ने पहली बार मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा की अवधारणा को पेश किया

धारा 2 में खंड (viia) जोड़ना, जो इस शब्द को केंद्र द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा के रूप में परिभाषित करता है।

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार। इसके अलावा, 'छोटी मात्रा' शब्द को धारा 2, खंड (xxiiia) में परिभाषित किया गया है, जो इसके द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम है।

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार।

तर्कसंगत सजा संरचना के तहत, सजा

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपत्तिजनक सामग्री 'कम मात्रा', 'वाणिज्यिक मात्रा' या बीच में कुछ है।

15. यह वस्तुओं और कारणों के कथन से प्रकट होता है।

2001 के संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि विधायिका का इरादा सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाओं के तस्कर जो महत्वपूर्ण रूप से व्यापार करते हैं

नशीली दवाओं की मात्रा को निवारक सजा के साथ दंडित किया जाता है, नशेड़ी और कम गंभीर अपराध करने वाले लोग हैं

कम कठोर दंड की सजा। तर्कसंगत सजा संरचना के तहत, सजा अपमानजनक सामग्री की मात्रा के आधार पर अलग-अलग होगी। इस प्रकार, हमें प्रतिवादी की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि शुद्धता की दर अप्रासंगिक है क्योंकि कोई भी तैयारी जो 250 ग्राम की वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। और इसमें 0.20% या उससे अधिक हेरोइन है जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत दंडनीय होगा, क्योंकि [2020] 4 एस. सी. आर.

विधायिका का इरादा, जैसा कि हमें प्रतीत होता है, लागू करना है।

उल्लंघन करने वाली दवा की सामग्री के आधार पर सजा

मिश्रण और मिश्रण के वजन पर नहीं। यह

निम्नलिखित तर्क पर परीक्षण किया जा सकता है। मान लीजिए 4 ग्राम। हेरोइन का एक आरोपी से बरामद किया जाता है, यह राशि होगी

एक छोटी मात्रा, लेकिन जब वही 4 ग्राम। 50 के साथ मिश्रित है

किलोग्राम। संचालित चीनी के रूप में इसकी मात्रा निर्धारित की जाएगी

वाणिज्यिक मात्रा। एक मादक दवा के मिश्रण में या एक या अधिक तटस्थ के साथ एक मनोदैहिक पदार्थ

पदार्थ/एस, तटस्थ पदार्थ/एस की मात्रा नहीं है

छोटे का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाए किसी मादक पदार्थ की मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा या

साइकोट्रोपिक पदार्थ। वजन के हिसाब से यह केवल वास्तविक सामग्री है।

मादक दवा जो प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है

यह निर्धारित करना कि क्या यह कम मात्रा में होगा या

वाणिज्यिक मात्रा। विधायिका की मंशा

संशोधन की शुरूआत जैसा कि हमें प्रतीत होता है, दंड देने के लिए है

कम गंभीर अपराध करने वाले लोग

सजा और जो गंभीर अपराध करते हैं, जैसे कि

अधिक गंभीर मात्रा में तस्करी

सजा "।

6.3 . इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क पर विचार करने पर

E.Micheal राज (सुप्रा) के मामले में, हमारी राय है कि एक या अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में, तटस्थ पदार्थ की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और यह केवल मादक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है -

यह निर्धारित करते हुए कि क्या यह "छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" होगी, इस न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 में प्रासंगिक प्रविष्टि पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जो जब्त किया गया था वह हेरोइन थी जो प्रविष्टि 56 में आती है। जो जब्त किया गया वह नहीं था

अफीम और/या अफीम व्युत्पन्न। इस न्यायालय द्वारा यह भी कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि यह प्रविष्टि 239 के अंतर्गत आएगा, अर्थात् कोई मिश्रण या तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना तैयार करना। इसलिए, मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण का मामला इस न्यायालय के प्रत्यक्ष विचार में बिल्कुल भी नहीं था।

6.4 . यहां तक कि यह भी प्रतीत नहीं होता है कि इस न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 के नोट 2 पर विचार किया, जो इस प्रकार हैः

> हीरा सिंह बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

" ऊपर सूचीबद्ध संबंधित दवाओं के खिलाफ दिखाई गई मात्रा दवा की तैयारी पर भी लागू होती है और

उपरोक्त नोट 1 के पदार्थों की तैयारी।

यदि इस न्यायालय द्वारा नोट 2 पर विचार किया जाता और उस मामले में जब्त की गई सामग्री "हेरोइन" होती और जो जब्त की गई थी वह 4.5 किलोग्राम हेरोइन थी, तो अदालत ने इसे एक "वाणिज्यिक मात्रा" के रूप में माना होता क्योंकि प्रविष्टि 56,5 ग्राम "छोटी मात्रा" है और 250 ग्राम और उससे अधिक एक "वाणिज्यिक मात्रा" है। इसलिए, हम राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, जिसमें यह विचार लिया गया है कि एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में

एक या अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ, तटस्थ पदार्थ की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और यह केवल मादक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह "छोटे" का गठन करेगा।

मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा "।

जिसमें, दो स्तरीय दंड का प्रावधान किया गया था-एक कम मात्रा के लिए और दूसरा वाणिज्यिक मात्रा के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपमान का इरादा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह कम होगा, अपराध करने वाले इरुग के वजन द्वारा केवल वास्तविक सामग्री पर विचार करना था।मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा। संशोधन अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

" संबंधित उद्देश्यों और कारणों का विवरण

2001 का संशोधन अधिनियम इस प्रकार हैः

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985

संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए निवारक सजा प्रदान करता है

मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए

पदार्थ। अधिकांश अपराधों के लिए समान सजा दी जाती है।

न्यूनतम दस वर्ष का कठोर कारावास जो बीस वर्ष तक बढ़ सकता है। जबकि अधिनियम में नशीली दवाओं के तस्करों के लिए गंभीर दंड की परिकल्पना की गई है, यह नशे की लत के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। मुकदमे में सामान्य देरी को देखते हुए यह पाया गया है कि नशेड़ी [2020] 4 एस. सी. आर. का आह्वान नहीं करना पसंद करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के प्रावधान। के तहत सख्त जमानत प्रावधान

अधिनियम उनके दुख को बढ़ाता है। इसलिए, सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले नशीली दवाओं के तस्करों को निवारक सजा दी जाए, जबकि नशेड़ी और कम गंभीर अपराध करने वालों को दंड दिया जाए।

कम कठोर दंड की सजा। इसके लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई सजा संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए सख्त जमानत प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित करने का भी प्रस्ताव है

अपराधी जो गंभीर अपराधों में लिप्त होते हैं।

उद्देश्यों और कारणों के कथन को नंगे पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधानमंडल का इरादा इस पर विचार करना था -

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह कम मात्रा में या वाणिज्यिक मात्रा में होगी, उल्लंघन करने वाली दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री। इसलिए, हमारी राय यह मानते हुए है कि यह निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी, इस न्यायालय ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कहा गया था, उससे अधिक पढ़ा है।

आई. डी. 2 दिनांकित अधिसूचना और इसमें संशोधन अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कहा गया है, उससे कहीं अधिक पढ़ा गया है और यहां नीचे बताए गए कारणों के गुण-दोष के आधार पर भी, हम आई. डी. 1 राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से सहमत नहीं हैं कि एक या अधिक तटस्थ पदार्थ (ओं) के साथ मिश्रण में मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में "छोटी या वाणिज्यिक मात्रा" निर्धारित करने के उद्देश्य से, तटस्थ पदार्थ (ओं) की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए या यह केवल अपमानजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो प्रासंगिक है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय के समक्ष भी E.Micheal राज (सुप्रा) के मामले में, यह "हेरोइन" का मामला था और अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 की प्रविष्टि 239 में मिश्रण के आने का बिल्कुल भी मामला नहीं था। 8. गुण-दोष पर कि क्या एक या अधिक तटस्थ पदार्थ (ओं) के साथ मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के किसी भी मिश्रण को तटस्थ पदार्थ (ओं) की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए या यह केवल अपमानजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या यह हीरा सिंह v का गठन करेगा।

" कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा ", एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार किया जाना आवश्यक है। के अनुसार

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की प्रस्तावना, यह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करने के लिए स्वापक औषधि से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना। उद्देश्यों और कारणों के विवरण और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की प्रस्तावना का तात्पर्य है कि अधिनियम को एक निवारक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है और प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कठोर होने चाहिए कि वही अधिनियम निवारक के रूप में काम करे। 8.1 . प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन और (1994) 3 एस. सी. सी. 440 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्येक कानून न्याय के आगे के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन केवल तकनीकीताओं को विफल करने के लिए नहीं। यह आगे देखा गया है कि हालांकि न्यायालय का इरादा केवल कानून की व्याख्या करना है और कानून बनाना नहीं है, फिर भी विधायिका को अपने इरादे और कानून की भावना के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को हल करने के लिए बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कानून की उदारता से व्याख्या करके कानून को ढालें या रचनात्मक रूप से व्याख्या करें। उक्त निर्णय में यह

न्यायालय ने क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में निम्नलिखित अंश, 10 वें संस्करण पृष्ठ 229 का भी हवाला दिया है:

> " जहाँ एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ में
>
> और व्याकरणिक निर्माण, एक प्रकट की ओर ले जाता है
>
> अधिनियमन के प्रत्यक्ष उद्देश्य का विरोधाभास, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय के लिए, जो संभवतः इरादा नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। ..... जहाँ किसी क़ानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, वहाँ इसे आवश्यकता के मामले को छोड़कर, मसौदा तैयार करने वाले की लापरवाही या कानून के बारे में अज्ञानता से शून्य नहीं किया जाना चाहिए।
>
> उपयोग की गई भाषा की अस्पष्टता।

इसके बाद, यह आगे देखा गया है कि विधायी इरादे को बढ़ाने के लिए, अदालतों को प्रत्यक्ष रूप से ध्यान में रखने की अनुमति है।

उद्देश्य और उद्देश्य और वास्तविक विधायी आशय। अन्यथा, उद्देश्य और उद्देश्य की अवधारणा से रहित विधायी इरादे के शब्दों और अनुप्रयोग की एक नंगी यांत्रिक व्याख्या विधायिका को निरर्थक बना देगी। यह आगे देखा गया है कि दी गई परिस्थितियों में, यह अनुमेय है [2020] 4 एस. सी. आर.

न्यायालयों के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण रखने और विधायी पर गौर करने के लिए

इरादा और कभी-कभी शब्दों और अधिनियमन के पीछे जाना और विधायी इरादे और अधिनियम के उद्देश्य और भावना को प्रभावी बनाने के लिए अन्य कारकों को ध्यान में रखना भी आवश्यक हो सकता है ताकि कोई बेतुकी या व्यावहारिक असुविधा न हो और विधायी अभ्यास और इसका दायरा और उद्देश्य व्यर्थ न हो।

8.2 इसलिए, उद्देश्यों और कारणों के विवरण और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की प्रस्तावना और इसके प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, ऐसा प्रतीत होता है कि तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर करने और केवल आपत्तिजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री पर विचार करने का विधायिका का इरादा कभी नहीं था जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या यह कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का गठन करेगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (viia) और (xxiiia) से ही मादक पदार्थ और मादक पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ पर जोर दिया जाता है।

(धारा 21,22,23,24,27 और 43)। यहां तक कि अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 से जुड़ी तालिका में कॉलम नं. 2 नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के नाम और कॉलम संख्या के संबंध में है। 5 और 6 "छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा" के संबंध में हैं। अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 के नोट 2 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि तालिका में सूचीबद्ध संबंधित दवाओं के खिलाफ दिखाई गई मात्रा दवा की तैयारी और नोट 1 के पदार्थों की तैयारी पर भी लागू होती है। नोट 1 के अनुसार, तालिका में सूचीबद्ध संबंधित दवाओं के खिलाफ दी गई छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा आइसोमर्स पर लागू होती है, जब भी ऐसे पदार्थ का अस्तित्व संभव हो। इसलिए, कॉलम संख्या में उल्लिखित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" के निर्धारण के लिए। 2 द. खंड 5 और 6 में उल्लिखित मात्रा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हालांकि, कॉलम संख्या में उल्लिखित मादक दवाओं/मनोदैहिक दवाओं के मिश्रण के मामले में। 2 और तालिका में उल्लिखित किसी भी दवा की तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण या तैयारी, संबंधित मादक दवाओं या मिश्रण का हिस्सा बनने वाले मनोदैहिक पदार्थों के खिलाफ दी गई मात्रा के बीच की छोटी मात्रा और संबंधित मादक दवाओं या मिश्रण का हिस्सा बनने वाले मनोदैहिक पदार्थ के खिलाफ दी गई मात्रा के बीच की वाणिज्यिक मात्रा के बीच की कम मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 100 ग्राम का मिश्रण जब्त किया जाता है और मिश्रण में दो अलग-अलग मादक पदार्थ और तटस्थ सामग्री के साथ साइकोट्रोपिक पदार्थ होते हैं, एक दवा हेरोइन है और दूसरा मेथाडोन है, जो उपरोक्त दो संबंधित मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक हीरा सिंह के खिलाफ दी गई मात्रा के बीच वाणिज्यिक मात्रा से कम है।

पदार्थ पर विचार करने की आवश्यकता है। "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" के निर्धारण के उद्देश्य से, प्रविष्टि 239 के मामले में मिश्रण/दवा के पूरे वजन को, जिसे तटस्थ सामग्री का वजन कहा जाता है, ऊपर जो कहा गया है, उसके अधीन माना जाना आवश्यक है। यदि ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों में कुछ जोड़ना होगा जो वहां नहीं है और/या यह विधायिका द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं था।

8.3 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अवैध दवाओं को शायद ही कभी शुद्ध रूप में बेचा जाता है। वे लगभग हमेशा मिलावटी या कटे हुए होते हैं।

अन्य पदार्थों के साथ। कैफ़ीन को हेरोइन के साथ मिलाया जाता है, जिससे हेरोइन कम दर से वाष्पित हो जाती है। यह उपयोगकर्ताओं को दवा को तेजी से लेने और जल्द ही एक बड़ा पंच प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। एस्पिरिन, चूर्णित गोलियाँ, उनके पास दवाओं की विपरीत खुराक को संशोधित करने के लिए पर्याप्त पाउडर हो सकता है। हेरोइन का उदाहरण लीजिए। इसे शक्तिशाली और अवैध सड़क दवा और मॉर्फिन से प्राप्त अफीम के रूप में जाना जाता है। इस दवा को आसानी से विभिन्न पदार्थों के साथ "काटा" जा सकता है। इसका मतलब है कि दवा विक्रेता दवा में अन्य दवाएं या गैर-मादक पदार्थ जोड़ देगा ताकि वे कम खर्च पर इसे अधिक बेच सकें। ब्राउन-चीनी/स्मैक आमतौर पर बिजली के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ये पदार्थ केवल 20 प्रतिशत हेरोइन हैं। हेरोइन को अन्य पदार्थों जैसे चाक पाउडर, जिंक ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, इन वजह से, दवा में अशुद्धियाँ, ब्राउन-शुगर सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक होती है। ये दिखाने और प्रदर्शित करने के लिए केवल कुछ उदाहरण हैं कि मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ का मिश्रण भी अधिक है।

खतरनाक है। इसलिए, जो हानिकारक या हानिकारक है वह है तटस्थ पदार्थ और मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक के साथ पूरा मिश्रण/गोलियाँ।

पदार्थ। इसलिए, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि यह केवल अपमानजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री है जो उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है

यह निर्धारित करना कि क्या यह छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी, उस स्थिति में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। "वाणिज्यिक मात्रा" के लिए कम सजा हो सकती है। निश्चित रूप से यह इरादा नहीं था विधायिका।

8.4 . यहाँ तक कि "निर्माण" की परिभाषा पर विचार करते हुए भी,

" कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ सामग्री सहित ऐसी "निर्मित दवा" या "तैयारी" के कुल वजन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यदि इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है, तो ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करने का कोई अन्य इरादा। कार्य करना निवारक है।

8.5 . नशीली दवाओं के आदी लोगों की समस्या अंतर्राष्ट्रीय है और माफिया दुनिया भर में काम कर रहे हैं। यह समाज के खिलाफ अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग

कमियों और कठिनाइयों के कारण, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता थी, जिसके कारण एन. डी. पी. एस. अधिनियम बनाया गया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह अधिनियम एक विशेष कानून है और इसका एक प्रशंसनीय उद्देश्य है और इसका उद्देश्य उस खतरे का मुकाबला करना है जो अन्यथा नष्ट करने पर केंद्रित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य। दोषियों को अंदर होना चाहिए और निर्दोष लोगों को बाहर होना चाहिए। नशीली दवाओं की तस्करी में सजा का हिस्सा महत्वपूर्ण है लेकिन इसका निवारक हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक में अवैध व्यापार की रोकथाम

पदार्थ अधिनियम, 1988 लागू किया गया। इसका उद्देश्य अपराध के बाद दंडित करने के बजाय अवैध यातायात को रोकना था।

इसलिए, न्यायालयों को निर्दोष व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। इसलिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए; समग्र रूप से समाज और अधिनियम पर प्रभाव

शाब्दिक रूप से व्याख्या की गई और उदारता से नहीं, जो अंततः अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य और प्रस्तावना को विफल कर सकता है। इसलिए, व्याख्या

उल्लंघनकारी दवा, जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या यह "कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा" होगी, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 9. अब, जहाँ तक भारत संघ द्वारा जारी विवादित अधिसूचना No.2942 (E) दिनांक 18.11.2009 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा "नोट 4" को S.O.1055 (E) दिनांकित 19.10.2001 अधिसूचना में जोड़ा गया है, जिसमें HIRA SIGH v की कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा निर्दिष्ट की गई है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में छोटी या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय एक या अधिक तटस्थ पदार्थ (ओं) के साथ मिश्रण, इसमें तटस्थ पदार्थ (ओं) का वजन भी शामिल है और न केवल अपमानजनक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री। इसलिए, भले ही "नोट 4" जिसे अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 के माध्यम से जोड़ा गया है, जोड़ा नहीं गया है, उस मामले में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और/या परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद

बहुत सावधानी बरतते हुए, भारत संघ ने एक अधिसूचना जारी की है

दिनांकित 18.11.2009 में "नोट 4" जोड़ा गया है। इस प्रकार, अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 द्वारा "नोट 4" को पहले की अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 में जोड़ा जा सकता है।

कहा जाता है कि यह स्पष्टीकरणात्मक है और केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से। यहाँ तक कि

अन्यथा, ऊपर बताए गए कारणों के लिए, दिनांक 18.11.2009 की विवादित अधिसूचना, जिसमें दिनांक 19.10.2001 की पूर्व अधिसूचना में "नोट 4" जोड़ा गया है, को योजना और एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

9.1 . इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिसूचना दिनांक 19.10.2001 खंड (viia) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।

और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 का (xxiiia)। धारा 2 (viia) "वाणिज्यिक मात्रा" को परिभाषित करती है और धारा 2 (xxiiia) "छोटी मात्रा" को परिभाषित करती है और इसका अर्थ है -

केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। दिनांकित अधिसूचना 19.10.2001 संबंधित मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बहुत सावधानी से और इसे और स्पष्ट करने के लिए "नोट 4" जोड़ा गया है। इसलिए, इसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना और प्रासंगिक प्रावधानों के अधिकार के बाहर नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अभियुक्त और मध्यस्थ की ओर से तर्क दिया गया है। इसलिए, अधिसूचना में खंड के "नोट 5" को जोड़ने के लिए दिनांकित 18.11.2009 की आक्षेपित अधिसूचना को चुनौती दें।

S.O.1055 (E) दिनांकित 19.10.2001 विफल रहता है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ का उत्तर नीचे दिया गया है:

(आई)। ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय यह विचार रखते हुए कि एक या [2020] 4 एस. सी. आर. के साथ मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

अधिक तटस्थ पदार्थ (ओं), तटस्थ पदार्थ (ओं) की मात्रा को एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और केवल अपमानजनक मादक दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री जो निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। चाहे वह कम मात्रा में हो या वाणिज्यिक मात्रा, यह एक अच्छा कानून नहीं है।

II)। मादक पदार्थों के मिश्रण की जब्ती के मामले में या

एक या अधिक तटस्थ के साथ मनोदैहिक पदार्थ

पदार्थ (ओं), तटस्थ पदार्थ (ओं) की मात्रा को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और साथ ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

"छोटी या वाणिज्यिक मात्रा" का निर्धारण करते हुए, उल्लंघन करने वाली दवा के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री के साथ

नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ;

II)। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21 एकल प्रावधान नहीं है और इसका अर्थ एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों सहित कानून के अन्य प्रावधानों के साथ लगाया जाना चाहिए।

अधिसूचना No.S.O.2942 (E) दिनांकित 18.11.2009 और

अधिसूचना एस. ओ. 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001;

वी)। दिनांकित 18.11.2009 अधिसूचना के लिए चुनौती, दिनांकित 19.10.2001 अधिसूचना में "नोट 4" जोड़ना विफल हो जाता है और यह देखा जाता है और माना जाता है कि यह अधिकार के बाहर नहीं है

योजना और एन. डी. पी. एस. के प्रासंगिक प्रावधान

एक्ट करें। नतीजतन, उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं और सिविल अपील संख्या 5218/2017 खारिज कर दी जाती हैं।

संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। द इंटरवेनरएन निपटाया जाता है। अब, संबंधित अपीलें की जाएं।

निर्णय लेने के लिए ऐसे मामलों को लेने वाला उपयुक्त न्यायालय

कानून के अनुसार और गुणों के आधार पर

ऊपर दिए गए एनएस और संदर्भ के लिए हमारा जवाब, के रूप में

संदर्भ ने जवाब दिया।